

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2015/ आग्रहायण 16, 1937

No. 758]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2015/ AGRAHAYANA 16, 1937

वित्त मंत्रालय

(रक्षोपाय महानिदेशक)

(सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद कर)

रक्षोपाय जांच की शुरुआत का नोटिस

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

[सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

विषय : "अलाय और गैर-अलाय स्टील के हाट रोलड फ्लैट शीट्स और प्लेट्स (क्वाइल फार्म में हाट रोलड फ्लैट उत्पादों का अपवर्जन करके) के भारत में आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरुआत।

सा.का.नि. 938(अ).—सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियम, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को एक आवेदनपत्र मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने मैसर्स लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन अटार्नीज, नई दिल्ली की मार्फत एक आवेदनपत्र "150 एमएम से कम की अथवा उसके समान नाममात्र की मोटाई और 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अधिक की नाममात्र की मोटाई युक्त अलाय और गैर-अलाय स्टील के हाट रोलड फ्लैट शीट्स और प्लेट्स (क्वाइल फार्म में हाट रोलड फ्लैट उत्पादों का अपवर्जन करके)" जिसे एतद्पश्चात "पीयूसी" (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है, का भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए प्राप्त हुआ है जिससे कि भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों द्वारा कारित गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की रक्षा की जा सके।

2. धरेलू उद्योग : आवेदनकर्ताओं अर्थात् मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने दावा किया है कि उनका कुल मिलाकर उत्पादन भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बैठता है और यह देश में इस विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन के एक बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए वर्तमान आवेदन दायर करने का उनका आधार बनता है।

3. अंतर्ग्रस्त उत्पाद : वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "150 एमएम से कम की अथवा उसके समान नाममात्र की मोटाई और 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अधिक की नाममात्र की मोटाई युक्त अलाय और गैर-अलाय स्टील के हाट रोलड फ्लैट शीट्स और प्लेट्स (क्वाइल फार्म में हाट रोलड फ्लैट उत्पादों का अपवर्जन करके)" चाहे उनको रिवर्सिबल प्लेट मिल अथवा हाट स्ट्रिप मिल अथवा टैन्डेम मिल अथवा स्टैकल मिल सहित यूनीवर्सल प्लेट मिल से अथवा 2-हाई, 3-हाई, 4-हाई, क्लस्टर मिल अथवा किसी अन्य समान हाट रोलिंग प्रक्रिया सहित विभिन्न प्रकार की रोलिंग संरूपण युक्त अन्य समान प्रक्रिया से रोल किया गया हो अथवा न किया गया हो। इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के प्रशुल्क शीर्षक संख्या 7208 और 7225 (722540413, 72254019, 72254020, 72254030 और 72259900) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन उत्पादों में हाट रोलिंग प्रक्रिया से सीधे उत्पादित अथवा हाट रोलड क्वाइल्स से काटी गई/शीयर की गई शीट्स और प्लेट्स शामिल हैं। यह उत्पाद "ऐज रोलड" एज या "ट्रिम्ड" एड अथवा "मिल्ड" एड अथवा "शीयर्ड" एड अथवा "लेजर-कट" एज अथवा "गैस-कट" एज युक्त प्राइम अथवा नॉन प्राइम में आयरन, अलाय या गैर-अलाय स्टील के फ्लैट उत्पाद हैं। इन उत्पादों को पिकिल अथवा नॉन-पिकिल (स्किन पास या टेम्परिंग युक्त अथवा रहित), सामान्यीकृत अथवा असामान्यीकृत किया जा सकता है, यह अल्ट्रा सोनिक ली परीक्षित अथवा अन-परीक्षित अथवा आयल्ड अथवा नॉन-आयल्ड आदि हो सकते हैं। यह उत्पाद "ऐज रोलड" अथवा "थर्मो-मैकेनिकली रोलड" अथवा "थर्मो-मैकेनिकली कंट्रोलड रोलड" अथवा "कंट्रोलड रोलड" अथवा "नार्मलाइज्ड रोलड" अथवा "नार्मलाइज्ड" अथवा किसी अन्य समान प्रक्रिया के हो सकते हैं। इन उत्पादों का पैटर्न इन रिलीफ/हाट रोलिंग के दौरान प्रत्यक्षतः व्युत्पन्न विभिन्न प्रकार की चेकर्ड पैटर्न हो सकते हैं। यह उत्पाद सैंड ब्लास्टेड अथवा शाट ब्लास्टेड अथवा समान प्रक्रिया के अध्येधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों का अनुप्रयोग विभिन्न अंतिम उपयोगों के लिए हो सकता है परंतु यह ढांचागत अनुप्रयोगों जनरल इंजीनियरिंग एंड फेब्रिकेशन, आटोमोटिव, अर्थ-मूविंग एवं माइनिंग उपकरण, स्टोरेज टैंक्स, कम दबाव वाले हीटर्स, ट्रीटर्स, टैंक्स तथा अन्य लो प्रेसर वेसेल्स, अवसंरचना एवं निर्माण सेक्टर जैसे पत्तन, रेलवे, हवाई अड्डा, पुल फ्लाई-ओवर, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण सेक्टर, विंड मिल, जहाज निर्माण एवं नाव अर्ध ठोस, द्रव एवं गैस का परिवहन करने के लिए विनिर्मित ट्यूब एवं पाइप विनिर्माण तक ही सीमित नहीं है।

पर्याप्त स्पष्टीकरण के पश्चात् इस विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है :

- (क) स्टेनलेस इस्पात के हाट रोलड फ्लैट उत्पाद;
- (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में पाइप लाइन परिवहन प्रणाली के लिए प्रयुक्त पाइपों का निर्माण करने के लिए एक्स-52 और उच्चतर एपीआई ग्रेड की सम्पुष्टि करने वाली एपीआई ग्रेड स्टील;
- (ग) आईएस 2002 और आईएस 2041 की सम्पुष्टि करते हुए बायलरो एवं दाव वैसल्स का निर्माण करने के लिए हाट रोलड प्लेट्स;
- (घ) सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील;
- (ङ) क्लैडेड स्टील;
- (च) क्वेंचड एवं टेम्पर्ड स्टील।

4. जांच की अवधि : आवेदकों ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) तक के सभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। चयन की गई जांच की अवधि 2012-13 से 2015-16 (ए) बाजार परिस्थितियों और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की जरूरत पर विचार करने के लिए काफी लंबी है।

5. सूचना का स्रोत : इस विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 (अगस्त, 2015 तक) तक

के सौदेवार आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्य मंत्रालय) से प्राप्त किए गए हैं और उन्हीं को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) तक के घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और विश्लेषण के लिए उन्हीं तक विचार किया गया है।

6. संवर्धित आयात (समग्र और संगत रूप से) : इस विचाराधीन उत्पाद का भारत को मुख्यतः चीन जन.गण., कोरिया आरपी, जापान और रूस और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने इस अवधि के दौरान समग्र रूप से और संगत रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है जैसा कि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	कुल आयात (एमटी)	प्रवृत्ति	संपूर्ण भारत का उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयात का प्रतिशत
2012-13	601,667	100	5264627	11
2013-14	323,723	54	5420737	6
2014-15	599891	100	5001044	12
2015-16(ए)	708816	118	5048846	14

7. गंभीर क्षति : आवेदकों ने यह दावा किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों से इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित हुई है और गंभीर क्षति कारित होने की चुनौती उत्पन्न हो गई है जो निम्नलिखित कारकों से स्पष्ट होता है :

(क) **उत्पादन :** घरेलू उद्योग का उत्पादन समान स्तर पर बना रहा जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	प्रवृत्ति
2012-13	4649918	100
2013-14	4237844	91
2014-15	4303683	93
2015-16(ए)	4306260	93

(ख) : **घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा :** अत्यधिक अभिनव अवधि में उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। आवेदकों का वर्ष 2014-15 में बाजार हिस्सा 73 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2015-16 (ए) के दौरान 70 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा 12 प्रतिशत से बढ़कर 13 प्रतिशत हो गया जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)	घरेलू उद्योग की ग्राही खपत (एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां (एमटी)	कुल मांग (एमटी)	बाजार हिस्सा (%)	
						घरेलू उद्योग	आयात
2012-13	601,667	3683111	439569	536201	5260548	70	11
2013-14	323,723	3662331	192398	994887	5173339	71	6
2014-15	599891	3768085	157747	639349	5165072	73	12
2015-16(ए)	708816	3771342	227971	694669	5402798	70	13

(ग) : **उत्पादकता और रोजगार** : चूंकि आवेदक कंपनियां बहु-उत्पाद कंपनियां हैं इसलिए रोजगार की स्थिति में कोई भारी अंतर नहीं आया है और उत्पादकता का स्तर प्रतिदिन निम्नवत है :

वित्तीय वर्ष	उत्पादकता प्रतिदिन (एमटी) (अनुक्रमित)
2012-13	100
2013-14	91
2014-15	93
2015-16(ए)	93

(घ) : **क्षमता उपयोग** : इस अवधि के दौरान, वर्ष 2012-13 में 45 प्रतिशत से घटकर से 2015-16 (ए) में 37 प्रतिशत हो गई, जैसाकि अधोलिखित तालिका में स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	संस्थापित क्षमता (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
2012-13	10336260	45
2013-14	11159000	38
2014-15	11305667	38
2015-16(ए)	11589959	37

(ङ.) **लाभ/हानि** : घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2015-16 (ए) में तीव्र गिरावट आई और घरेलू उद्योग को घाटा हुआ जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	लाभप्रदता (रुपए/एमटी) (अनुक्रमित)	आरओसीई प्रतिशत (अनुक्रमित)
2012-13	100	100

2013-14	66	71
2014-15	39	43
2015-16(ए)	-230	-1

(च) **मालसूची** : अधोलिखित तालिका में मालसूची स्तर का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2012-13 में 100 बिंदुओं से बढ़कर वर्ष 2015-16 (ए) में 130 बिंदुओं तक पहुंच गई।

वित्तीय वर्ष/तिमाही	मालसूची (एमटी) (अनुक्रमित)
2012-13	100
2013-14	104
2014-15	104
2015-16(ए)	130

8. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदनपत्र में रक्षोपाय शुल्क का चार वर्षों की अवधि के लिए तत्काल अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में प्रपाती गिरावट के मद्देनजर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का भी अनुरोध किया है।

9. इस आवेदनपत्र की जांच की गई है और यह पाया गया है कि इस "विचाराधीन उत्पाद" के संवर्धित आयातों ने इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को प्रथम दृष्टया गंभीर क्षति कारित की है अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है और तदनुसार, इस नोटिस के जरिए एक जांच की शुरुआत करने का निश्चय किया गया है।

10. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत करा सकते हैं :

महानिदेशक (रक्षोपाय)

भाई वीर सिंह साहित्य सदन, द्वितीय तल, भाई वीर सिंह मार्ग,

गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001, भारत

टेलीफैक्स : 011-23741542/ 23741537

ई-मेल: dgsafeguards@nic.in

11. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है।

12. इस जांच से संबंधित कोई अन्य पक्षकार, जो यह चाहता है कि उसे हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए, भी अपना अनुरोध इस तरह से भेज सकता है कि वह इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के अंदर उपर्युक्त पते पर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास पहुंच जाए।

13. सभी संगत सामग्री (अगोपनीय) युक्त एक सार्वजनिक फाइल उपर्युक्त पते पर महानिदेशक (रक्षोपाय) के कार्यालय में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध रहेगी।

[फा. सं. डी-22011/47/2015]

विनय छाबड़ा, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Directorate General of Safeguards)****(Cumotms and Central Excise)****NOTICE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION**

New Delhi, the 7th December, 2015

Sub: Initiation of safeguard investigation concerning imports of “Hot Rolled flat sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non-alloy steel” into India.

1. **G.S.R. 938(E).**— An application has been filed before me on 28th October, 2015 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/S Steel Authority of India Limited, M/S Essar Steel India Limited, M/S JSW Steel Limited and M/S Jindal Steel & Power Ltd through M/S Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys, New Delhi, for imposition of Safeguard Duty on imports "Hot Rolled flat sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non alloy steel having nominal thickness less than or equal to 150mm and nominal width of greater than or equal to 600mm" hereinafter referred to as 'PUC' (Product under consideration) **into India** to protect the domestic producers of PUC against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of PUC into India.

2. **Domestic Industry:** The applicants, i.e., M/S Steel Authority of India Limited, M/S Essar Steel India Limited, M/S JSW Steel Limited and Jindal Steel & Power Ltd. claimed that their production together accounts for more than 50% of the total production of PUC in India and it represent a major proportion of Indian production of the product under consideration in the country and thus have the standing to file the present application.

3. **Product Involved:** The product under consideration in the present investigation is “Hot Rolled flat sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non-alloy steel having nominal thickness less than or equal to 150mm and nominal width of greater than or equal to 600mm” whether or not rolled from universal plate mill including reversible plate mill or hot strip mill or tandem mill or steckel mill or any other similar process with various type of rolling configuration including 2-High, 3-High, 4-High, cluster mill or any similar hot rolling process. The product under consideration is classified under Tariff Heading 7208 and 7225 (722540413, 72254019, 72254020, 72254030 and 72259900) which are directly substituting the products manufactured by the DI that fall under the tariff heading 7208) of the Customs Tariff Act, 1975. These products include sheets and plates produced either directly from the hot rolling process or cut / sheared from hot rolled coils. These products are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having ‘as-rolled’ edge or ‘trimmed’ edge or “milled” edge or “sheared” edge or “laser-cut” edge or “gas-cut” edge. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), normalized or un-normalized, ultra-sonically tested or untested or oiled or non-oiled etc. These products may be “as-rolled” or “thermo-mechanically rolled” or “thermo-mechanically controlled rolled” or “controlled rolled” or “normalized rolled” or “normalized” or subject to any other similar process. These products may have patterns in relief/chequered patterns of different types derived directly during hot rolling. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar processes. These products may find applications spread across various end-usages including but not limited to structural applications, general engineering & fabrication, automotive, earth-moving & mining equipment, storage tanks, low pressure heaters, treaters, tanks & other low pressure vessels, infrastructure and construction sectors such as port, railway, airport, bridges, fly-overs, power generation, transmission & distribution sector, wind-mill, ship building & boats, tube & pipe manufacturing for transporting semi-solid, liquid & gas.

By ample clarification, the following are not included in the scope of the product under consideration:

- a) Hot rolled flat products of stainless steel;
- b) API grade steel conforming to X-52 and higher API grades for manufacturing pipes used for pipeline transportation systems in the petroleum and natural gas industries;
- c) Hot rolled plates for manufacturing boilers and pressure vessels conforming to IS 2002 and IS 2041;
- d) Silicon electrical steel;
- e) Cladded steel;
- f) Quenched and tempered steel;

4. **Period of Investigation (POI):** The applicants have submitted all the data from 2012-13 to 2015-16 (up to Sept.,15). The period for investigation selected is 2012-13 to 2015-16 (A) which is long enough in order to take into consideration the market conditions and to ascertain the need of imposition of Safeguard Duty.

5. **Source of information:** The transaction-wise import data for the 'PUC' has been taken from DGCI&S (Ministry Of Commerce) from 2012-13 to 2015-16 (upto Aug,15) and same has been taken into consideration for analysis. The domestic data from 2012-13 to 2015-16(up to Sept.,15) have been submitted by the domestic industry and the same been taken into consideration for analysis.

6. **Increased Imports (absolute & in relative terms):** 'PUC' is imported into India primarily from Indonesia, China PR, Japan, Korea RP, Russia and Ukraine. The imports of 'PUC' have shown an increasing trend in absolute terms as well as in relative terms during the period as shown in table below:-

Year	Total Imports (MT)	Trend	All India Production (MT)	import with respect to total production(%)
2012-13	601,667	100	5264627	11
2013-14	323,723	54	5420737	6
2014-15	599891	100	5001044	12
2015-16(A)	708816	118	5048846	14

7. **Serious Injury:** The applicant have claimed that the increased imports of 'PUC' have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of 'PUC' as indicated by the following factors:

(a) **Production:** The production of the domestic industry remained at the same level as shown in the following table:-

YEAR	Production of DI (MT)	Trend
2012-13	4649918	100
2013-14	4237844	91
2014-15	4303683	93
2015-16(A)	4306260	93

(b) **Market Share of domestic producers in domestic demand:** Market share of the applicants has fallen in the most recent period. Applicants had a market share of 73% in 2014-15 which fell to 70% during 2015-16 (A). During the same period, the market share of import increased from 12% to 13%, as shown below:-

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Captive consumption of DI (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Total Demand (MT)	Market Share (%)	
						DI	Import
2012-13	601,667	3683111	439569	536201	5260548	70	11
2013-14	323,723	3662331	192398	994887	5173339	71	6
2014-15	599891	3768085	157747	639349	5165072	73	12
2015-16(A)	708816	3771342	227971	694669	5402798	70	13

(c) **Productivity & Employment:** Since the applicant companies are multi-product companies, the employment levels have not undergone any significant change and productivity per day is as under:-

Financial Year	Productivity per day(MT) (Indexed)
2012-13	100
2013-14	91
2014-15	93
2015-16(A)	93

- (d) **Capacity Utilisation:** During the period, the capacity utilisation decreased from 45% to 37% during 2012-13 to 2015-16(A) as evident from the table below:

Financial Year	Installed Capacity (MT)	Capacity Utilisation (%)
2012-13	10336260	45
2013-14	11159000	38
2014-15	11305667	38
2015-16(A)	11589959	37

- (e) **Profit/loss** – The profitability of the domestic industry has declined sharply in 2015-16(A) and they have started recording losses as shown in the following table:-

Financial Year	Profitability (Rs. /MT) (Indexed)	ROCE(%) Indexed
2012-13	100	100
2013-14	66	71
2014-15	39	43
2015-16(A)	-230	-1

- (f) **Inventory**- The table below depicts the inventory levels which have witnessed a surge from 100 points in 2012-13 to 130 points in 2015-16(A).

Financial Year/Quarter	Inventory (MT) (Indexed)
2012-13	100
2013-14	104
2014-15	104
2015-16(A)	130

8. The domestic industry has requested for immediate imposition of safeguard measures for a period of four years in their application. The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of product under consideration.

9. The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of 'PUC' have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producers of 'PUC' and accordingly, it has been decided to initiate an investigation through this notice.

10. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

The Director General (Safeguards)
 Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
 Bhai Vir Singh Marg,
 Gole Market, New Delhi-110 001, INDIA.
 Telefax: 011-23741542/ 23741537
 E-mail: dgsafeguards@nic.in

11. All known interested parties are also being addressed separately.
12. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) on the aforementioned address within 15 days from the date of this notice.
13. A public file containing all relevant material (non-confidential) shall be available for inspection by all interested parties in the office of the Director General (Safeguards) on the aforementioned address.

[F. No. D-22011/47/2015]

VINAY CHHABRA, Director General